चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर-२०८ ००२

प्रबन्ध मण्डल की

११६वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : अक्टूबर १६, २००२
समय : पूर्वान्ह ११:०० बजे
स्थान : समिति कक्ष, मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२
प्रबन्ध मण्डल की ११६ वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : मण्डी परिषद, समिति कक्ष, गोमती नगर लखनऊ — दिनांक : अक्टूबर १६, २००२
समय : पूर्वान्ह ११.०० बजे

उपस्थिति

१-	डा० एस० बी० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
२-	डा० नसीम जैदी, सचिव, कृषि	सदस्य
३-	श्री आर० पी० सिंह, विशेष सचिव, वित्त	सदस्य
४-	श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक, कृषि	सदस्य
५-	श्री ए० के० सिंह, निदेशक, पशुपालन	सदस्य
६-	डा० बी०एस०हन्सारा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
७-	डा० एच० के० सक्सेना,	सदस्य
८-	श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक	सदस्य
९-	श्री आर० के० दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थित

१-	सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
२-	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य
३-	श्रीमती प्रेमलता कटियार, विधायक (अब माननीया मंत्री)	सदस्य
४-	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद	सदस्य

मद संख्या १

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ०१.०७.२००२ को सम्पन्न हुई ११८वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने ११८ वीं बैठक जो दिनांक ०१.०७.२००२ को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या २

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की ११८वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ०१.०७.२००२ को सम्पन्न हुई ११८वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही पर सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त की गयी।

24.10.02

मद संख्या ३

डा० मोती सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक उद्यान विज्ञान विभाग को दिनांक १.५.९४ से ३१.५.९६ तक की अवधि का वेतन भुगतान हेतु महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति के आदेश पर विचार।

महामहिम राज्यपाल / कुलाधिपति महोदय ने अपने पत्र दिनांक २६.९.२००२ में डा० मोती सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, उद्यान विभाग के दिनांक १.५.९४ से ३१.५.९६ तक की अवधि के वेतन भुगतान के संम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि डा० मोती सिंह को उक्त अवधि में अनुपस्थित रहने के कदाचार के विरूद्ध जॉच कार्यवाही पूर्णकर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या ४

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अध्यापको को सत्रांत अर्थात ३० जून तक निरन्तर सेवा विस्तार के सम्बन्ध में परिनियमावली के अध्याय- XXI के परिनियम-७ में संशोधन का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-२१ के परिनियम - ७ में निम्न प्रकार संशोधन किये जाने की संस्तुति प्रदान की :-

वर्तमान प्रावधान	संशोधित संस्तुत प्रावधान
"Provided that if the date of superannuation of the teacher does not fall on June 30, the teacher shall continue in service till the end of the academic session i.e. June 30, following and he will be treated on re-employment from the date immediately following the date of his superannuation till June 30 following."	"Thereafter no extension in service shall be granted, however, if the date of superannuation of a teacher does not fall on June 30, the teacher **shall continue in service** till the end of the academic session to June 30 following."

मद संख्या ५

विज्ञापन संख्या-१/९२ के अर्न्तगत विज्ञापित सहायक प्राध्यापक कोटि (वेतनमान रू० २२००-४०००) के शैक्षिक पदों पर चयन सूची में स्थापित श्री नवशाद खॉ की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर श्री नवशाद खॉ की सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान / सस्य विज्ञान विषय के समकक्ष रिक्त पदों में से किसी एक पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ६

विज्ञापन संख्या १/२००१ द्वारा विज्ञापित सहायक प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध वेतनमान रू० ८०००-१३५०० के पद पर चयनित एवं प्रबन्ध मण्डल की ११७ वीं बैठक दिनांक २५.२.२००२ में लिये गये निर्णय के सापेक्ष श्री सर्वेश कुमार की नियुक्ति पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर श्री सर्वेश कुमार की नियुक्ति, इस प्रतिबंध के साथ कि श्री सर्वेश कुमार को अगली वेतन बृद्धि पी-एच० डी० उपाधि करने के पश्चात ही देय होगी, अनुमोदन प्रदान किया।

24.10.02

मद संख्या ७

श्री लालता प्रसाद हलवाहा, तिलहन शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर द्वारा दिनांक ५.८.९९ से ३१.१.२००१ तक (५४५ दिन) उपभोग किये गये चिकित्सीय आधार पर बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर श्री लालता प्रसाद हलवाहा, तिलहन शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर द्वारा दिनांक ५.८.९९ से ३१.१.२००१ तक (५४५ दिन) उपभोग किये गये चिकित्सीय आधार पर बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया।

मद संख्या ८

प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष में वर्ष १९७९ से स्वीकृत एक वेतन वृद्धि की धनराशि को वसूल न किए जाने के संबंध में प्राप्त विधिक राय पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल ने विचार कर निर्णय लिया कि वर्ष १९८१ में प्रबन्ध मण्डल को वेतन बृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार था। शासनादेश संख्या १०४/१२-८-४००(६९)/८२ दिनांक २६ मार्च १९८३ के अनुसार प्लेटिनम जुबली के रूप में स्वीकृत वेतन बृद्धि का लाभ वेतन निर्धारण में नहीं दिया गया है तथा शासनादेश संख्या १८०८/१२-८-१५०६/९६ दिनांक १४.३.१९९७ के अनुपालन में स्वीकृत वेतन बृद्धि का भुगतान बंद कर दिया गया। अतः चूँकि प्लेटिनम जुबली के अवसर पर स्वीकृत की गयी वेतन बृद्धि सक्षम स्तर (प्रबन्ध मण्डल) से स्वीकृत है इसलिए कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय इस धनराशि की वसूली न की जाए। सम्परीक्षा को तद्नुसार अवगत कराया जाये।

मद संख्या ९

शासनादेश संख्या-सा-४-४४४/दस-२००० दिनांक १४ जून, २००० के निर्णय अनुसार दिनांक २७-१२-९९ के पूर्व के लम्बित अवकाश नकदीकरण के भुगतान किये जाने का प्रस्ताव।

विस्तृत विवरण के साथ जिसमें अनुमानित व्यय की धनराशि भी सम्मिलित हो, प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या १०

डा० प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक (कपास), डा० डी०एन० शर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक (मृदा रसायन), डा० ए०एस० भदौरिया, सेवानिवृत्त सह प्राध्यापक (कीट विज्ञान) को एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया। शिक्षण तथा शोध कार्य की महत्ता तथा इन पदों पर नियुक्ति न होने से पडने वाले प्रभाव को दृष्टगत रखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय दिया कि डा० प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक (कपास), डा० डी०एन० शर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक (मृदा रसायन), डा० ए०एस० भदौरिया, सेवानिवृत्त सह प्राध्यापक (कीट विज्ञान) को एक वर्ष या नयी नियुक्ति जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा पर नियुक्ति किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

उक्त शिक्षकों को प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू० ८०००.०० होगी । इस धनराशि की गणना इस प्रकार की जायेगी कि पेंशन तथा संविदा पर प्राप्त होने वाली धनराशि उनके द्वारा प्राप्त आतिंम वेतन से अधिक न हो । अधिक होने पर रू० ८०००.०० में तद्नुसार कमी की जाय।

24.10.02

मद संख्या ११

श्रीमती संगीता गुप्ता, परियोजना सहायक/प्रशिक्षण सहायक (गृह विज्ञान) पादप रोग विज्ञान विभाग को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक १५.४.२००२ से १७.७.२००२ (९४ दिन) तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर श्रीमती संगीता गुप्ता, परियोजना सहायक/प्रशिक्षण सहायक (गृह विज्ञान) पादप रोग विज्ञान विभाग को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक १५.४.२००२ से १७.७.२००२ (९४ दिन) तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया।

मद संख्या १२

विश्वविद्यालय के अभियंत्रण संकाय, इटावा के छात्रों की शुल्क वृद्धि पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर विश्वविद्यालय के अभियंत्रण संकाय, इटावा के छात्रों की शुल्क वृद्धि पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १३

डा० रमाशंकर त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का धारणाधिकार की अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप सेवायें समाप्त किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर डा० रमाशंकर त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव, की सेवायें समाप्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १४

विश्वविद्यालय की विषम वित्तीय स्थिति पर विचार।

शासन स्तर पर वेतन भत्ते मद में अनुदान देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर निर्णय होने के उपरान्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या १५

कृषि विविधीकरण परियोजना, चतुर्थ तल, पिकप भवन लखनऊ द्वारा स्वीकृत तीन योजनाओं को विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ द्वारा स्वीकृत निम्न तीन योजनाओं को विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

क्रमांक	योजना का नाम	व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि रू० लाख में
१	सम्भागीय डाइग्नास्टिक बीज उत्पादन केन्द्र की सीापना	२८.५१
२	कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक एवं जैव रसायन के गुणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	५१.१५
३	एस०ए०यू० रिसर्च मैनेजमेन्ट के अर्न्तगत आधार भूत सुविधाओं का विस्तार	४६.३८
	योग	१२६.०४

24.10.02

मद संख्या १६

सूखा राहत के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नलकूपों की रिबोरिंग/मरम्मत हेतु प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर नलकूपों की रिबोरिंग/मरम्मत जल निगम से कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १७

चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध मण्डल की ११३वीं बैठक दिनांक २६.१२.२००० में मद संख्या-१२ के अधीन लिये गये निर्णय, जिसके अनुसार डा० श्रीश कुमार को कृषि ज्ञान केन्द्र में समन्वयक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची के क्रमसंख्या १ पर क्रमवद्ध थे, पर माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ०प्र० द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक ६.१०.२००२ के सापेक्ष विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विस्तृत विचार किया एवं निर्णय लिया कि चूँकि समन्वयक के दो रिक्त पद आरक्षित कोटे के हैं और इसके अतिरिक्त समन्वयक का पद रिक्त नही है अतः डा० श्रीश कुमार को समन्वयक के समकक्षीय पद पर समायोजित करने हेतु प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या १८

कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग के अर्न्तगत प्रारम्भ किये गये स्व-वित्तपोषित एम०बी०ए० (एग्री बिजनेस) पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्ययों की स्वीकृति / अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग के अर्न्तगत प्रारम्भ किये गये स्व-वित्तपोषित एम०बी०ए० (एग्री बिजनेस) पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्ययों की निम्न प्रकार स्वीकृति प्रदान की।

आय	अनुमानित व्यय	
रू० १३,३८,६६०.००	(१) शिक्षकों,परीक्षकों एवं विशेषज्ञों का मानदेय	रू० २,००,०००.००
	(२) पाठ्य प्रस्तकें, मैग्जीन्स इत्यादि	रू० १,००,०००.००
	(३) समिति, प्रवचन, कार्यालय, शिक्षक, कम्प्यूटर इत्यादि कक्षों को नवीनतम रूप में बनावाने पर	रू० ८,७१,७३४.००
	(४) कार्यालय फर्नीचर, स्टेशनरी इत्यादि	रू० १,६७,२२६.००
	कुल योग	रू०१३,३८,६६०.००

मद संख्या १९

एग्री-क्लीनिक्स एण्ड एग्री-बिजनेस सेन्टर सेल की स्थापना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा एग्री-क्लीनिक्स एण्ड एग्री-बिजनेस सेन्टर सेल की स्थापना हेतु आय-व्ययों की निम्न प्रकार स्वीकृति प्रदान किया।

अनुमानित आय	अनुमानित व्यय	
रू० ९,००,०००.०० (६० कृषि स्नातकों हेतु रू० १५,०००/- प्रति कृषि स्नातक की दर से)	(१) १०० (प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षक) व्यक्तियों का ६० दिन का नास्ता (रू० १०/-), दोपहर का भोजन (रू० २०/-), शाम की काफी या चाय (रू०५/-) तथा रात्रि का भोजन (रू०२०/-) प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से	रू० ३,३०,०००.००
	(२) ६० कृषि स्नातकों का ६० दिन का रू० ३०/- आवासीय प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से	रू० १,०८,०००.००
	(३) ६० कृशि स्नातकों का रू० २,०००/- प्रति कृषि स्नातक की दर से कृषि उद्योगों एवं व्यवसाय केन्द्रों का भ्रमण व्यय	रू० १,२०,०००.००
	(४) ६० कृषि स्नातकों का रू० ३,०००/- प्रति कृषि स्नातक की दर से अध्ययन सामाग्री तथा कृषि चिकित्सा एवं कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पुस्तकों का व्यय	रू० १,८०,०००.००
	(५) स्टेशनरी एवं डाक व्यय	रू० ६७,५००.००
	(६) ९० प्रशिक्षकों का रू० ५००/- प्रति प्रशिक्षक की दर से मानदेय	रू० ४५,०००.००
	(७) नोडल आफीसर (रू० २०,०००/-) तथा ५ कार्यालय सहायकों (रू० २,०००/- प्रत्येक) वार्षिक की दर से मानदेय	रू० ३०,०००.००
	(८) १०० (प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षक) व्यक्तियों हेतु कृषि चिकित्सा लोगो (मोनोग्राम) वाली टी-शर्ट रू० १५०/- प्रति टी-शर्ट की दर से मूल्य	रू० १५,०००.००
	(९) दो द्वि-मासिक बुलेटिन प्रत्येक की १००० प्रतियां रू० १,५००/- प्रति बुलेटिन की दर से छपवाने पर व्यय	रू० ३,०००.००
	(१०) सम्प्रीक्षा व्यय	रू० १,५००.००
	कुलयोग	रू० ९,००,०००.००

मद संख्या २०

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार।

२५.१०.०२

मद संख्या २०.१

बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में सत्र २००२-२००३ में प्रारम्भ किये गये स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों (I) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इन्जी० एवं (II) कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इन्जीनियरिंग से प्राप्त आय को विभिन्न मदों में व्यय करने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में सत्र २००२-२००३ में प्रारम्भ किये गये स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों (I) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इन्जी० एवं (II) कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इन्जीनियरिंग से प्राप्त आय को निम्न विवरणानुसार व्यय करने पर अनुमोदन प्रदान किया।

क्रम संख्या	विवरण	आय	व्यय
१	छात्रों से प्राप्त शुल्क	२१४८५३०.००	
२	संविदा शिक्षक		६००००.००
३	कम्प्यूटर टाइपिस्ट कम डाटा आपरेटर		१२५००.००
४	कम्प्यूटर मैकेनिक कम प्रोग्रामर		३००००.००
५	लाइब्रेरी पुस्तकें, मैगजीन, जनरल, समाचार पत्र इत्यादि		२०००००.००
६	लाइब्रेरी फरनिशिंग एवं बुक बाइंडिग आदि		१०००००.००
७	प्रयोगशाला उपकरण एवं साज सज्जा		६०००००.००
८	ग्लास वेयर एवं रसायन		१०००००.००
९	पी ओ एल जनरेटर एवं वाहन हेतु		२००००.००
१०	विद्युत चार्ज		२०००००.००
११	टेलीफोन चार्ज		३००००.००
१२	प्रकीर्ण व्यय		५००००.००
१३	यात्रा भत्ता		५०००.००
१४	छात्रावास परिचर (महिला)		७४६२.००
१५	सुरक्षा गार्ड		७४६२.००
१६	सफाई कर्मी (महिला)		४८६८.००
१७	अन्य फुटकर मद		२०००००.००
	कुल योग	२१४८५३०.००	१६२७२६२.००

24.10.05

मद संख्या २०.२

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को निम्न विवरण के अनुसार उनके द्वारा उपभोग किये गये चिकित्सा / उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने निम्न कर्मचारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अवकाश स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं विभाग	अवकाश का विवरण
१	श्री कमलेश कुमार, स्टोर अटेण्डेण्ट, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा	दिनांक १६.१.२००२ से २३.५.२००२ तक (१२८ दिन) का चिकित्सा अवकाश
२	श्री पाती राम, क्लीनर, परिवहन विभाग	दिनांक ३१.१.२००१ से १०.६.२००१ तक का चिकित्सा अवकाश तथा ८.२.२००२ से १६.५.२००२ तक उपार्जित अवकाश
३	श्री मुख्तार अहमद, प्रयोगशाला परिचर, कृषि जीव रसायन विभाग	दिनांक २६.५.२००२ से २८.७.२००२ तक (६२ दिन) का चिकित्सा अवकाश

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

24.10.02

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

दिनांक : २४ अक्टूबर, २००२